प्रथम सूचना रिपोर्ट

{ अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया सहित}

1. जिला– भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, बाड़मेर, थाना:– सीपीएस जयपुर वर्ष 2023
   प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 177/2023 दिनांक 6/7/2023
2. (1) अधिनियम पी0सी0एक्ट धाराऐ :– 13 (1) (सी) (डी), 13(2) भ्र.नि.अधिनियम 1988 एंव 13 (1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018
   (2) अधिनियम भारतीय दण्ड संहिता धाराये :– 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120 बी,
   (3) अधिनियम ..... धाराये :–.....
   (4) अन्य अधिनियम व धाराये :– .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 647 समय 6:45 PM
   (ब) अपराध के घटने का दिन :– वर्ष 2017–18 से 2020–21,
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक :––
4. सूचना की किस्म :– लिखित,
5. घटनास्थल :–
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **चौकी से बदिश उत्तर 150 कि0मी0 दूर।**
   (ब) पता :– जिला जैसलमेर।
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो :–
6. परिवादी / सूचनाकर्त्ता :–
   श्री उम्मेदसिह अति0 निदेशक (सतत एवं प्रशासनिक) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर।
7. ज्ञात / अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा विशिष्टियों सहित :–
   1. **श्री भवानीसिह चारण पुत्र श्री डूगरदान चारण निवासी बलाउ सांसण जिला बाडमेर तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर हाल अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोरगृह जैसलमेर।**
   2. **श्री चन्द्रप्रकाश राव पुत्र श्री लालचन्द राव निवासी मकान नम्बर 4140 व्यास कॉलोनी पानी की टंकी शास्त्रीनगर जयपुर तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम हाल नवचयनित लेखाधिकारी।**
   3. **श्री हिम्मतसिह कविया पुत्र श्री स्व0 शक्तिदान कविया निवासी बिराई तहसील बालेसर जिला जोधपुर सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर अति. चार्ज ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम जिला जैसलमेर।**
   4. **श्री हेमन्त सैनी पुत्र मुक्तिलाल सैनी निवासी पचलंगी ब्लॉक उदयपुरवाटी जिला झुझनु तत्का0 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर हाल अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका उदयपुरवाटी।**
   5. **श्री मुकेश कुमार पुत्र श्री बनवारीलाल निवासी खोरा तहसील दातारामगढ जिला सीकर तत्का. सूचना सहायक कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सम हाल कनिष्ठ सहायक जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा सीकर।**
   6. **श्री चुतराराम पुत्र श्री प्रभुराम निवासी धोबा ब्लॉक सम जिला जैसलमेर कनिष्ठ सहायक, कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सम हाल वरिष्ठ सहायक बाल अधिकारिता विभाग जैसलमेर**
   7. **छोटू खां पुत्र श्री हबीब खां जाति मुसलमान उम्र 25 साल निवासी बेरा कॉलोनी जैसलमेर हाल ई–मित्र संचालक जैसलमेर ई–मित्र कैनरा बैंक के सामने मन्दिर पैलैस होटल के पास जैसलमेर(खाताधारक)**
   8. **श्री अमृत पुत्र श्री गिरधारीराम उम्र 29 वर्ष जाति मेगवाल निवासी काठोडी जिला जैसलमेर हाल ई मित्र संचालक बसन्त ई मित्र जैसलमेर।(खाताधारक)**
   9. **श्री दिलबर खां पुत्र श्री सुमार खा उम्र 37 वर्ष जाति मुसलमान निवासी मुसलमान पाडा, निम्बा जिला जैसलमेर (खाताधारक)**

10. श्री बशीर पुत्र जुम्मा जाति मुसलमान उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम निम्बा बीदा जिला जैसलमेर (खाताधारक)

11. खंगार खां पुत्र राना खा जाति मुसलमान निवासी .निम्बा जिला जैसलमेर खाताधारक एवं अन्य।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नहीं।
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टयां :–.....
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तिया का कुल मूल्य :–
11. पंचनामा /यूडी केस संख्या (अगर हो तो).....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट .....

निवेदन हैं कि वित्तिय सलाहकार, कार्यालय निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मुख्यालय जयपुर के आदेश क्रमांक 8748 दिनांक 03.03.02022 के द्वारा श्री पूरणमल वर्मा सहायक लेखाधिकारी प्रथम के नेतृत्व मे विभागीय आन्तरिक विशेष जांच दल गठन कर जिला जैसलमेर मे वित्तिय वर्ष 2017–18 से 2020–21 की अवधि मे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत किये गये भुगतान की विभागीय स्तर पर आंतरिक जांच करवायी गयी। विभागीय आंतरिक जांच दल द्वारा जैसलमेर जिले के तीन ब्लॉकस– जैसलमेर, सम एवं सांकडा मे मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत लाभान्वित किये गये कुल 1022 व्यक्तियो मे से 300 व्यक्तियो की रैण्डम जांच की गई। कार्यालय ब्लॉक समाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, सम एव सांकडा मे मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत वित्तिय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक एक बैंक खाते मे एक से अधिक लाभार्थियो के ऑनलाईन आवेदन फार्म 671 पाये गये। जिसमे ब्लॉक जैसलमेर मे 254, ब्लॉक सांकडा मे 255 एवं ब्लॉक सम मे 162 खातो मे 296.04 लाख रूपये का भुगतान किया गया। जिसमे 288 लाभार्थियो के आवेदन पत्रो की नमूना जांच मे राशि 124.68 लाख का अनियमित भुगतान ऑनलाईन आवेदन फार्मो के साथ संलग्न दस्तावेजो मे कूटनीति/जालसाजी/कांट–छांट कर भुगतान उठाया जाना पाया गया तथा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के नियमो के अनुसार योग्यता रखने वाले प्रार्थियो की पुत्रियो की विवाह के 1 माह पहले अथवा विवाह की तिथी के 6 माह के अन्दर आवेदन किया जाना होता है। ऑन लाईन आवेदन पत्रो की पोर्टल पर जांच करने पर पाया गया कि कुछ आवेदन फार्म आवेदन कर्ताओ द्वारा आवेदक के पुत्रियो की शादी वास्तविकता मे हुई थी, उनका विवाह प्रमाण पत्र भी सही बना था लेकिन उन्होने फर्जी तरीके से राशन कार्ड में कांट–छांट करके एपीएल को बीपीएल करके इस योजना के लिए आवेदन कर योजना का लाभ प्राप्त किया गया है। उपरोक्त आवेदन के अतिरिक्त कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, सम एवं सांकडा मे मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत वित्तिय वर्ष 2017–18 से 2020–21 तक 351 आवेदन ऐसे भी पाये गये जिनका भुगतान सिर्फ एक बार एक ही खाते मे हुआ है, जिनके खातो मे किया गया भुगतान राशि 105.56 लाख रूपये है। उक्त 351 ऑनलाईन आवेदन फार्मो मे से 28 आवेदन फार्मो की नमूना जांच की गई जिसमे 16 आवेदन सही पाये गये तथा शेष 12 लाभार्थियो द्वारा 6.30 लाख का भुगतान आवेदन पत्रो के दस्तावेजो मे कूटनीति/जालसाजी/कांटछांट कर उठाया गया। जो वसूली योग्य एवं अनियमितता/गबन की श्रेणी मे माना गया। इस प्रकार विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त योजनान्तर्गत दस्तावेजो मे जालसाजी/कांट–छांट करके एपीएल को बीपीएल बनाया जाकर अलग–अलग समुदाय, श्रेणी एवं अलग–अलग स्थानो के रहने वाले लाभार्थियो से मिलीभगत कर एक ही बैंक खातो में विभागीय अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा अनियमित भुगतान कर लगभग 130.98 लाख रूपये का गबन किया जाना पाया गया। आंतरिक जांच दल द्वारा 1022 आवेदनो मे से 300 व्यक्तियो की रैण्डम जांच मे लगभग 130.98 लाख रूपये का गबन होना प्रथम दृष्टया माना गया एवं 1022 व्यक्तियो को किये गये 4.00 करोड रूपये के भुगतान मे और अधिक राशि गबन किये जाने का अंदेशा जताया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विभाग द्वारा 3 अधिकारी/कर्मचारीगण को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है तथा 3 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। श्री उम्मेदसिह अति. निदेशक (सतत एवं प्रशा.) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0 जयपुर द्वारा उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर उक्त योजना मे गलत तथ्यो/दस्तावेजो को ऑनलाईन करते हुए राजकीय राशि का गबन कर राजकोष को हानि पहुचाने वाले उत्तरदायी कार्मिको एवं निजी व्यक्तियो (खाताधारक) के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु रिपोर्ट ब्यूरो को भिजवाई गई जिस पर

ब्यूरो मे प्राथमिक जांच संख्या 19/2022 दर्ज की जाकर श्री रामनिवास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सत्यापन किया गया।

सत्यापन के दौरान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की गाईड लाईन की प्रमाणित प्रति, खाता धारक श्री बशीर खां, श्री दिलबर खा, खंगार खां इत्यादि के खाता स्टेटमेन्ट एवं खाता ऑपनिग फार्म की प्रतिया प्राप्त कर गवाह श्री हेमाराम जरमल, कार्यवाहक सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर, आंतरिक जांच दल प्रभारी श्री पूरणमल वर्मा सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, कार्यालय निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज. जयपुर के बयान एवं आरोपी श्री भवानीसिह चारण तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, श्री चन्द्रप्रकाश राव, तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम, श्री हिम्मतसिह कविया तत्का. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर अति.चार्ज ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम जिला जैसलमेर, श्री हेमन्त सैनी, तत्का0 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, श्री मुकेश कुमार, सूचना सहायक, कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सम, श्री चुतराराम कनिष्ठ सहायक, कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, सम जिला जैसलमेर, श्री छोटू खां ई–मित्र संचालक एवं खाताधारक एवं श्री अमृत ई मित्र संचालक बसन्त ई मित्र जैसलमेर स्पष्टीकरण कथन प्राप्त किये गये।

सत्यापन से पाया गया कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना (उपहार एवं सहयोग योजना) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से प्रदेश की बालिकाओ (आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो से सम्बन्ध रखने वाली कन्याए) के विवाह कराने के लिए आर्थिक सहायता के रूप मे 31 हजार से लेकर 51000 रूपये तक की धनराशि मुहैया कराई जाती है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य की बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारो की कन्याओ को विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए इस योजना को 2017–18 से ऑनलाईन प्रारम्भ किया गया है। एक परिवार की केवल 2 कन्याओ को ही इस योजना के तहत लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाली कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। इस योजना के तहत आवेदन हेतु पात्रता मानदंड के अनुसार आवेदक राजस्थान का स्थाई निवासी होना जरूरी है, सभी वर्गो के अंत्योदय परिवारो, बीपीएल परिवार एवं आस्था कार्डधारी परिवार इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र है। इसके अलावा अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो जाती है और वह पुनर्विवाह नही करती है, या उस विधवा महिला की मासिक आय 50,000 रूपये या इससे कम की है या उसके परिवार मे 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई सदस्य कमाने वाला नही है तो भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाता है। जिन कन्याओ के माता–पिता का देहांत हो चुका है एवं उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है तो इस दशा मे भी कन्या को योजना का लाभ प्रदान किया जा सकता है। अगर किसी कन्या के माता पिता मे से कोई भी जीवित नही है और उनके परिवार के किसी भी सदस्य की आय 50,000 वार्षिक से अधिक नही है के विवाह हेतु किसी संरक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकता है। पालनहार योजना से जुडी हुई/विशेष योग्यजन की कन्याओ/राज्य की महिला खिलाडियो के स्वंय के विवाह हेतु इस योजना का लाभ प्राप्त करने का पात्र माना जाता है। अनुसुचित जाति, अनुसुचित जन जाति एवं अल्पसंख्यक परिवारो से सम्बन्ध रखने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की कन्याओ के विवाह पर 31000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है अगर कन्या दसवीं कक्षा पास है तो इस दशा मे उसे अतिरिक्त 10,000 रूपये की राशि प्रदान की जाती है एवं अगर कन्या द्वारा स्नातक की परीक्षा पास की है तो इस दशा मे उसे 20,000 रूपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है एवं शेष सभी वर्गो की पात्र कन्याओ को 21,000 रूपये, दसवी पास पर 10,000 रूपये अतिरिक्त एवं स्नातक पर 20,000 रूपये अतिरिक्त राशि प्रदान करने का प्रावधान है।

सत्यापन से पाया गया कि इस योजना के तहत आरोपी श्री दिलबर खां, श्री बशीर खां, श्री खंगार खां, श्री छोटूखा ई–मित्र संचालकं, श्री अमृत, ई मित्र संचालक इत्यादि द्वारा विभिन्न लोगो के राशनकार्ड मे एपीएल को बीपीएल कर, मूलनिवास, जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेजो मे जालसाजी/कूटरचना कर अलग–अलग समुदाय, श्रेणी एवं अलग–अलग स्थानो के रहने वाले लोगो की एसएसओ आई.डी बनाकर उनकी पुत्रियो के नाम से आवेदन किये एवं ऑनलाईन आवेदन मे खाता नम्बर स्वयं के एवं अपने परिजनो के अंकित करते

हुए विभिन्न लोगो के नाम से लाखो रूपये उठाये जाकर राजकोष को हानि कारित की गई। आरोपीगणो द्वारा एक गिरोह के रूप मे विभिन्न बैको मे अपने एवं अपने परिजनो के नाम खुलवाये गये करीब 63 खातो मे मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत तीन या तीन से अधिक बार भुगतान प्राप्त किया है। आरोपीगणो द्वारा इस योजना के तहत अलग–अलग कन्याओ के नाम आवेदन कर अपने एंव अपने परिजनो के कई खातो मे 5–5, 7–7 बार भुगतान प्राप्त किया है। जबकि इस योजना के तहत एक परिवार की केवल 2 कन्याओ को लाभान्वित किया जाता है। आरोपी श्री दिलबर खां पुत्र श्री सुमार खा निवासी मुसलमान पाडा, निम्बा जिला जैसलमेर (खाताधारक) द्वारा इस योजना के तहत अलग–अलग समुदाय, श्रेणी एवं अलग–अलग स्थानो के रहने वाले लोगो की पुत्रियो के नाम से आवेदन कर स्वयं के खाता संख्या 08528100005214 मे 4,08,000 रूपये, खाता संख्या 18472122014400 मे 2,84,000 रूपये, खाता संख्या 22680100003168 मे 3,32,000, खाता संख्या 2840000100083112 मे 4,70,000 रूपये, खाता संख्या 32026127759 मे 2,64,000 रूपये, खाता संख्या 660410110008534 मे 3,68,000 रूपये एवं अपनी पत्नी श्रीमती हुरमत के खाता संख्या 22680100002591 मे 4,12,000 रूपये एवं खाता संख्या 6653933190 मे 4,66,000 रूपये कुल 30,0,4000 (तीस लाख चालीस हजार) रूपये का भुगतान प्राप्त कर राजकीय राशि का गबन किया है। इसी प्रकार अन्य आरोपी बशीर खा, खंगारा खां, अमृत, छोटूखां इत्यादि द्वारा भी अलग–अलग समुदाय, श्रेणी एवं अलग–अलग स्थानो के रहने वाले लोगो की पुत्रियो के नाम से फर्जी आवेदन कर अपने एवं अपने परिजनो के बैक खातो मे लाखो रूपये का भुगतान प्राप्त कर राजकीय राशि का गबन करना पाया गया है।

सत्यापन मे रेण्डमली कुछ खाताधारको के खातो का स्टेटमेन्ट प्राप्त किया जिसमे आरोपी दिलबर खां पुत्र श्री सुमार खा निवासी ग्राम निम्बा, जिला जैसलमेर के पंजाब नेशनल बैक खाता संख्या 18472122014400 मे दिनांक 18.11.2020 को क्रमशः 40,000, 40,000 व 42,000 रूपये का भुगतान तीन बार हुआ है। समीर खां पुत्र सुमार खां (दिलबर के भाई) के युनियन बैक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 520101060573089 मे दिनांक 18.11.2022 को तीन बार 40,000–40,000 रूपये एवं खंगार खां पुत्र राणा खां निवासी ग्राम निम्बा खाता संख्या 2840000100036594 मे दिनांक 08.06.2020 को एक ही दिन मे 4 बार 40,000–40,000 रूपये का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार अन्य आरोपी बशीर खा, खंगारा खां एवं अन्य द्वारा भी अपने एवं अपने परिवारजनो के नाम विभिन्न बैको मे अलग– अलग खाते खुलवाये जाकर अलग अलग लोगो के फर्जी आवेदन कर समाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के स्थानीय अधिकारियो /कर्मचारियो से मिलीभगत कर लाखो रूपये राजकीय राशि अपने खातो मे प्राप्त कर राजकोष को हानि पहुचाई है।

आरोपी दिलबर खां पुत्र सुमार खां, समीर खां पुत्र सुमार खां, हुरमत पत्नी दिलबर खा, खंगार खां पुत्र राणा खां, दिनू खां पुत्र राणे खां, जुम्मा पुत्र तमाची खां, रूपाई पत्नी जुम्मा खां, बशीर खां पुत्र जुम्मा खा, हाजरा पत्नी बशीर खां, ईमाणा पत्नी खेरदीन, हयात खां पुत्र हसन खां, सफी पत्नी बाधेखां, रमन पत्नी हकीम, साल्या पत्नी जादम खां, रमत पत्नी हकीम निवासीयान निम्बा तहसील सम जिला जैसलमेर के अलग–अलग बैक खातो मे 5–5, 7–7 बार भुगतान किया गया है। उपरोक्त सभी आरोपी तीन–चार परिवार के सदस्य एवं एक ही गांव निम्बा के निवासी है। उक्त सभी आरोपियो के तीनो बैको, युनियन बैक ऑफ इण्डिया, पंजाब नेशनल बैक व कॉरपोरेशन बैक मे प्रत्येक के खाता खुलवाया हुआ है और सभी के खातो मे 3 या 3 से अधिक बार भुगतान किया गया है। कई खातो मे 5–5, 7–7 बार एवं कई खातो मे 10 बार तक 40,000–40,000 रूपये भुगतान किया गया है। उपरोक्त के अलावा ओर भी लोग है लेकिन इस प्रकरण आधे से ज्यादा तो इस एक ही गांव के तीन–चार परिवार के लोग ही है।

इस योजना मे अक्टूम्बर 2022 तक ऑनलाईन आवेदन अन्य योजनाओ की तरह जनाधार से लिंक नही होने से विभाग के पोर्टल पर आवेदक द्वारा आवेदन करते समय बैक खाता विवरण मैनुअली दर्ज किये जा रहे थे अक्टूम्बर 2022 से पोर्टल को जनाधार से लिंक कर दिया गया है जिससे आवेदक विवरण जैसे मूल निवास, जाति, बैक खाता विवरण, श्रेणी, वर्ग, आधार नम्बर, वैवाहिक स्थिति, विवाह प्रमाण पत्र, बीपीएल स्टेटस इत्यादि स्वतः ही पोर्टल पर Fetch हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा पोर्टल को समयानुसार अपडेट करने मे कमी रही है। जबकि विभाग की पालनहार योजना एव अन्य योजनाऐ शुरू से जनाधार से लिंकड है। जिसके

सम्बन्ध मे कार्यालय ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राजगढ (अलवर) द्वारा अपने पत्रांक 299 दिनांक 30.07.2020 के द्वारा पोर्टल के ऑनलाईन आवेदन अन्तर्गत कमियो की ओर ध्यान आकृष्ट कर सुधार हेतु संयुक्त निदेशक (आई.टी.) सामाजिक न्याय एव अधिकारिता विभाग जयपुर को अवगत करवाया गया था। लेकिन अक्टूम्बर 2022 तक विभाग द्वारा पोर्टल पर कोई अपडेट नही किया गया। फिर भी सम्बन्धित ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ऑनलाईन आवेदन पत्रो की सर्तकता से जांच करते हुए पहचान पोर्टल या जन सूचना पोर्टल से क्रोस चैकिग करते तो उक्त फर्जी आवेदन कर्ता की पहचान की जा सकती थी। इस प्रकार विभागीय अधिकारियो एव कर्मचारियो द्वारा ई–मित्र धारको /प्राईवेट व्यक्तियो (खाताधारको) से मिलीभगत कर राजकोष को हानि कारित करना पाया गया है।

उक्त योजना के ऑनलाइन आवेदन मे अपलोड किये हुए गलत तथ्यो/दस्तावेजो को स्वीकार करते हुए भुगतान पारित करने वाले उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी श्री भवानीसिह चारण तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, श्री चन्द्रप्रकाश राव, तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम, श्री हिम्मतसिह कविया तत्का. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर अति.चार्ज ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम जिला जैसलमेर, श्री हेमन्त सैनी, तत्का0 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, श्री मुकेश कुमार, सूचना सहायक, श्री चुतराराम कनिष्ठ सहायक द्वारा खाताधारक/लाभार्थिगण सर्वश्री छोटू खां ई–मित्र संचालक, अमृत ई मित्र संचालक, दिलबर खां, श्री बशीर, खंगार खां एवं अन्य निजी व्यक्तियो से मिलीभगत कर लाखो रूपये राजकीय राशि का गबन कर राजकोष को हानि पहुचाने का जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13(2) भ्र.नि.अधिनियम 1988 व 13 (1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं भादस की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120 बी का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपीगण श्री भवनीसिह चारण तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, श्री चन्द्रप्रकाश राव, तत्का. ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम, श्री हिम्मतसिह कविया तत्का. सहायक निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जैसलमेर अति.चार्ज ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सम जिला जैसलमेर, श्री हेमन्त सैनी, तत्का0 ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर, श्री मुकेश कुमार, सूचना सहायक, श्री चुतराराम कनिष्ठ सहायक श्री छोटू खां ई–मित्र संचालक, अमृत ई मित्र संचालक, दिलबर खां, श्री बशीर, खंगार खां एवं अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13 (1) (सी) (डी), 13(2) भ्र.नि.अधिनियम 1988 व 13 (1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एवं भादस की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, 120 बी में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर कमांकन हेतु प्रेषित कर निवेदन है कि अपराध दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान के आदेश फरमावें

(संग्रामसिह भाटी)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बाड़मेर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री संग्राम सिह, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471, 477ए, व 120बी में अभियुक्तगण 1. श्री भवानी सिंह चारण पुत्र श्री डूगरदान चारण, निवासी बलाव सांसण जिला बाडमेर तत्का, ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारी जैसलमेर हाल अधीक्षक सम्प्रेक्षण एवं किशोरगृह जैसलमेर एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रथम व द्वितीय पृष्ठ के बिन्दू संख्या 7 पर अंकित अभियुक्तों के क्रम संख्या 2 लगायत 11 तक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अत: अपराध संख्या 177/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:–2234–42 दिनांक:– 06.07.2023

प्रतिलिपि:–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. निदेशक, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) राजस्थान जयपुर।
5. निदेशक, सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग राजस्थान जयपुर।
6. निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
7. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
8. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बाड़मेर।
9. अति. पुलिस अधीक्षक–परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(पी.ई.19/22)।

उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।